

तारीख
हुकम

उपायुक्त आदेशिकाय राजपिंडा
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज़
वस्तु सरकार ५५ चिरोपीलाल

अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये

गार्पना ५९अ-१९९५ धारा 136 2F Act मुम्ब 6/19

पत्रवली पेठा दुई अवलोकन सिद्ध गणना ६५५५
 गार्पना ५९ अ-१९९५ धारा 136 2F Act इस आगम का पेठा सिद्ध
 है कि ग्राम समीर लहरील राजपिंडा की जमाकरी
 सं. २०७०-७३ के लिये सं. ६३ के व.नं. ५५३ रकम
 ० वीघा 13 बिल पा लोटेयों के सम्बन्धी डिस्का
 सं. २०५०-५३ के लिये सं. २१८ के व.नं. ५५३ में लोटेयों
 के डिस्का का पेठा ० व.नं. है। किन्तु जमाकरी सं.
 २०५०-५३ में नामास्करण सं. ५७७ पिनोके
 15-11-1995 से सुरीय वेवा कट्टेपालल, सिन्दिया
 शकुन्तल उपरीयन कट्टेपालल जाहि जेठ डिस्का
 २/६ व. व.करी उरी भोला डि. १/४ का चिरोपीलाल
 उरुललराम डि. ११/२५, सोम स्वयेना चिवासी
 सुभाष उरुम कोसनी कोसल शारा का बेयान
 कर दिया गया, जिसका नाम जमाकरी में डी.पि.
 है लेकिन अंश नोट में ११/२५ के लिये पा
 ११/५५ दुई सं. सिद्ध दिया गया, आज तक यल
 आ रहा है। इसलिये अब वर्तमान जमाकरी में
 चिरोपीलाल उरु ललराम के डिस्का ११/५५ अंश
 १/५ के लिये पा ११/२५ सिद्ध जाल अंश देगा।

इसमें उक्त गार्पना ५९ एव ३२५ के
 लिये उक्त राजस्व सिद्ध का अवलोकन सिद्ध
 राजस्व सिद्ध के अवलोकन से गार्पना ५९ के
 लिये जो गार्पनी है वत कि नामास्करण
 संख्या २१८ में चिरोपीलाल उरु ललराम का बेयान
 गया डिस्का ११/२५ अंश है वत कि जमाकरी
 सं. २०५५-५७ में सं. ११/५५ अंश सिद्ध है जो
 वर्तमान जमाकरी में ११/५५ का १/५ अंश सिद्ध
 गया है वत सिद्धीय दुई है जो कागज दुखी
 है।

अतः गार्पना ५९ 136 2F Act (वीकल सिद्ध
 जमाकरी आपन है कि ग्राम समीर लहरील
 जमाकरी सं. २०७०-७३ में लिये संख्या ६३ के व.नं.
 ५५३ रकम ० वीघा 13 बिल पा लोटेयों के

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुये

श्रीराम राम लाल लाल श्याम लाल श्री सुभाष चन्द्र
कोरनेनी कोरनेनी कोरनेनी का डिस्ट्रिक्ट 1/4
के स्थान पर 11/24 सद्ये इज्जत हुये
के आदेश दिने पारस्ये तदुक्तस्य राजकुमार
आदेश पत्रे हेतु स्थानीय वाफ तन्मूल
शुद्धि १२२ हेतु हुकम सुनाया गया

उपखंडाधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)

[Faint, mostly illegible handwritten text follows, likely containing details of the court order and administrative notes.]